

## संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुडा भवन, चतुर्थ तल, भोपाल- 462004

क्रमांक /4/ शैक्ष/एम.एम.व्ही.वाय./2019/

भोपाल, दिनांक /05/2019

### /मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश/

इस योजना से संबंधित पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 190 दिनांक 24.04.2018 में नीहित निर्देशों को निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किए जाते हैं।

#### देय शुल्क के भुगतान की रिकवरी/वापिसी :-

ऐसे आवेदक जिन्होंने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है अर्थात् जिनकी राशि संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा डिस्बर्स की जा चुकी है, ऐसे आवेदक प्राप्त राशि अपनी संस्था के बैंक खाते के माध्यम से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के पंजाब नेशनल बैंक खाता क्रमांक 6310000100005325, IFSC Code-PUNB0631000 में स्थानान्तरित कर, सिर्फ योजना के प्रवेशित वर्ष में अपना आवेदन अनलॉक करवा सकते हैं। इस आशय का आवेदन पत्र एवं नियमानुसार राशि आवेदक द्वारा संस्था में जमा की जायेगी।

- (i) उल्लेखनीय है कि इस खाते में नगद राशि जमा किये जाने का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा सीधे राशि जमा नहीं की जा सकेगी।
- (ii) इस हेतु राशि स्थानान्तरित होने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लॉगिन एवं पासवर्ड से "रिकवरी" विकल्प के अन्तर्गत, प्रावधान किया गया है कि, ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनलॉक किये जा सकेंगे। स्वीकृतकर्ता अधिकारी आवेदन अनलॉक किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक से प्राप्त राशि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के खाते में स्थानान्तरित हो चुकी है, एवं इसकी समस्त जबाबदारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी की होगी।
- (iii) अनलॉक होने के उपरान्त, सिर्फ योजना के प्रवेशित वर्ष में ही आवेदक आवेदन पत्र में परिवर्तन कर अन्य संस्था/पाठ्यक्रम के लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का आवेदन जमा कर सकेगा या अन्य योजना/छात्रवृत्ति के लिये अपना आवेदन परिवर्तित कर सकेगा।
- (iv) योजना के प्रवेशित वर्ष में लाभ प्राप्त करने के पश्चात् आगामी वर्ष में पाठ्यक्रम या संस्था बदलने का प्रावधान योजना में नहीं है।

#### आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान संबंधी कार्यवाही :-

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत निजी संस्थानों के छात्रों को योजना का भुगतान, आधार पेमेन्ट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, जिसमें छात्र के आधार से बैंक खाता का लिंक होना आवश्यक है एवं उनके आधार की जानकारी (Seeding) नेशनल पेमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (NPCI) में अपडेट होनी चाहिए।

- (i) आधार और बैंक खाता का लिंक न होने की स्थिति में भुगतान NPCI के सर्वर द्वारा स्वतः ही रिजेक्ट हो जाएगा। आधार एवं बैंक खाता के लिंक की कार्यवाही आवेदक द्वारा स्वयं ही अपने बैंक के माध्यम से करना होगी।
- (ii) NPCI में बैंक एवं आधार लिंक की जानकारी का परीक्षण आधार की अधिकृत वेबसाइट [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) में उपलब्ध विकल्प Check Aadhaar & Bank Account Linking Status के माध्यम से या आधार की अधिकृत लिंक <https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper> से किया जा सकता है।

(iii) आधार से संबंधित किसी प्रकार की अन्य समस्या आने पर आवेदक द्वारा अधिकृत UIDAI कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

सामान्य निर्देश :-

- (i) मध्यप्रदेश शासन के स्कालरशिप पोर्टल के अनुसार स्कालरशिप संबंधित 05 योजनाओं {मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, पोस्ट मेट्रिक (ओ.बी.सी.), पोस्ट मेट्रिक (एस.सी.), पोस्ट मेट्रिक (एस.टी.), मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना} में से किसी 01 योजना का ही लाभ पाठ्यक्रम के दौरान प्राप्त हो सकेगा।
- (ii) पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय जिस योजना का लाभ प्राप्त किया है वह पूर्णकालिक पाठ्यक्रम तक अपरिवर्तनीय रहेगी।
- (iii) योजना पूर्णतः ऑनलाइन है अतः योजना के संबंध में समस्याओं के निदान के लिए व आवश्यक जानकारी हेतु संस्थाएँ पूर्ण विवरण एवं स्क्रीनशॉट सहित ई-मेल आई. डी. **dte.mmvy@mp.gov.in** पर मेल करें। अनावश्यक पत्राचार न करें।
- (iv) छात्र/छात्राएँ योजना के संबंध में समस्याओं के निदान के लिए व आवश्यक जानकारी हेतु पूर्ण विवरण एवं स्क्रीनशाट सहित ई मेल आई डी **mmvyhelpline.dte@mp.gov.in** पर मेल करें।

संचालक तकनीकी शिक्षा  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / 4 / शैक्ष / एम.एम.व्ही.वाय. / 2019 / 130  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 10 / 05 / 2019

01. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ की उपरोक्तानुसार पोर्टल में प्रावधान करने का कष्ट करें।
03. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, ई.पी.सी.ओ., शाखा पर्यावास परिसर, भोपाल म.प्र. की ओर इस आशय के साथ की उक्त खाते में नगद राशि जमा नहीं किये जाने हेतु आवश्यक प्रावधान करने का कष्ट करें।
04. समस्त सत्यापनकर्ता एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारियों, एम.एम.व्ही.वाय. योजना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक तकनीकी शिक्षा  
मध्यप्रदेश